

8082

Salvage 6000

8098 2000



21



मेदिनीनगर (पलामू)

निबन्धन अधिनियम २१ तथा छोटानगपुर  
नास्तकारी अधिनियम १९०९ को धारा ५६  
के अधीन शास्य भारतीय स्वाम्य अधिनियम  
१९२६ की अनुसूची ७९ का - २.३  
के अधीन चर्चापत्र - १९०९

वारी १९०९

*[Handwritten signature]*

अंश पदा सद  
मेदिनीनगर के पत्रा सं  
3003-6-8-09  
के अनुसार अनुसूची  
प्रारंभ

Rs 6000-00  
L-14 2-50  
Rs 0.94  
6003-44

*[Handwritten signature]*

१. लेख्यकारी:- श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा  
पिता स्व० बसिंद्र प्रसाद सिन्हा जाति  
कायस्थ निवास स्थान कुण्ड मुहल्ला  
हमिदगंज मन्दर अहर वी थागा  
मेदिनीनगर जिला पलामू पैशा  
कार्तकारी (भारतीय)।  
अपच पत्र सं ३३८ दिनांक १९/८/०९  
PAW APYPS 4208K.



05AA 144457

S.O. प्रारंभ लेख्यकारी  
१९०९  
१९०९  
१९०९  
१९०९  
१९०९

मेदिनीनगर  
पलामू जिला  
हमिदगंज मन्दर अहर  
वी थागा  
मेदिनीनगर जिला पलामू पैशा  
कार्तकारी (भारतीय)  
अपच पत्र सं ३३८ दिनांक १९/८/०९  
PAW APYPS 4208K.



05AA 144458

॥२॥ लेखपधारी:- श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय  
पिता स्व. मंगल पाण्डेय जाति ब्राह्मण  
साकिण मौजा के पीस्ट राजदारा भाग  
बिभ्रामपुर जिला पलामु पैशा रबेले (भारतीय)  
अपघ पत्र सं २३९ दिनांक १९/४/७९  
PAN - APMP 44542

॥३॥ लेखपकार:- निर्विवाद विक्रयपत्र (केवाला)  
Sale deed.

॥४॥ मुल्य:- मी ६,००,०००/- इव लारव रूपमा  
बाजारभाव:- मी ६,००,०००/- इव लारव रूपमा

॥५॥ सम्पत्ति:- मवाजी ०.०५ (पाँच डीसमिस्) जमीन  
जो गृह निर्माण योग्य भावासीम है. इसका  
तफसिल जैल वाके मौजा कुण्ड मुहल्ला  
हमिदगंज थाना मैदिनीनगर जिला पलामु  
निबंधन कार्यालय मैदिनीनगर जिसकी  
उत्तर तरफ की लम्बाई पुरव से पश्चिम  
५०'०" एवं दक्षिण तरफ की लम्बाई पुरव से  
पश्चिम ४५'३" है, तथा इसकी चौड़ाई उत्तर  
से दक्षिण पुरव से पश्चिम तरफ का ४५'०" है  
जिसकी दक्षिण दायरबन्दी का पार्ट  
होल्डींग जमात बिक्री करते हैं जो गण  
पाकिडा क्षेत्र के अन्तर्गत है।

निर्दिष्ट भाग  
०५.४.०९  
जवाहरी देविका अम्मा देवी  
पिता - स्व. देविका देवी  
सामकान्त  
18/4/09



क्रमांक	तारीख	पुराना नमा	नया नमा	ज. नं.
190	73	पडिम	पडिम	1167
		12	ये 2	

स्वातंत्र्य पत्रिका

6	221	रकवा प. ज.	चाहदी टाल
(द्व)	दो	0.05	पु. रामधनी दापुम
	सा		दु. भरथ भर्मा
	इककीर		पु. अशोक साव
			पु. भार. एक. सहास

जमा 0.05 (पांच डिसाजिल) जमा

किछी किरा

नाममात्रिक : भारत सरकार वरवी  
 मीठ मीठ अंचल मीठनीगाळ पाणजे  
 मालगुजारी : मीठ 50 पैसा सालाना  
 अलावे अर्षी.

विदित हो कि सम्पति खाना नर 5  
 वसिका हागा मेरी रंजली सम्पति ह  
 जिसे मेरी माता जी कल्याणी देवी  
 दिनांक 12.5.1952 ईस्वी को केवाळ सं. 1555  
 के द्वारा बदस्त हरकथ महती से रचरी  
 किया थी जिसका डिमाण दावरच 0 फाद सं.  
 56/1995-6 द्वारा रजिस्ट्र के जमा 1167  
 मेरी माता कल्याणी (लिटा) का नाम दे

पु. भार. एक. सहास  
 18.8.05

गणेश बाबाकास पाणजे  
 वरुड काल पाणजे  
 मीठनीगाळ पाणजे  
 1818109



होकर आज तक रसिद (मालमुजारी) की  
 कटती पत्नी भा रती हैं जिसपर मेरी  
 माताजी ना जिन्दगी कामम रहका अपने  
 पिडे मुझे एक मात्र संतान की होकर  
 देहान्त कर गईं बाद अपने माताजी की  
 मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि पर मैं कामम  
 की कारकिर्द दखिल हूँ के पता आता  
 हूँ इस वक्त मुझे अपना भी जल्दी  
 दाहने बनाने अपने अकाश की भी कुछ  
 पन्ड जरूरीमत के लिए हैं जोकि  
 फिर यह मामला बिस्की जमीन के अपना  
 का प्रबन्ध अपने पास से होना मुश्किल  
 हैं इसीलिए मैं उक्त सम्पति खाना  
 न० 5 परसिका हाजगी की भू-भाग के  
 लेखवाली भी आविनीश कुमार पांडेय  
 के साथ ७ मूल्य मो० ६७ लाख  
 अपना में बिस्की को विक्रयपत्र  
 (केवाला) लिख, की मैं लाने से  
 ही अपना कामम की कारकिर्द  
 दखिल करेदाग

दिनांक १०/०८/१९८१  
 १८.८.८१



अब चाहे की खरीददार खुद  
 मय कार्यमान उक्त भूमि पर काम  
 रहवा अपना मकान बनाने कागवा  
 लगाने का जैसा भी चाहे भोग करे  
 इससे मुझे को मेरे वादीकाग को  
 कोई सरकारी नहीं रहा साथ ही  
 मह सम्पति हर तरह से पाकु  
 खाफ को भार मुक्त रूप की  
 खरीददार क सिस्टम मागेक अपना  
 नाम दर्ज कराकरें मागभुजरी दिया  
 करों की लकागुल बदलें करीकें  
 के अमल में आमा मूल्य का  
 कुछ कम पुरान पा चुके हैं  
 इसलिये मैं अपनी रागी खुशी  
 से अपना मकान बुकशाग को क  
 लकी लौच समझकर मह विक्रमपत्र  
 (बैवाग) दिग्ग दिया की समय  
 पर काग का के को प्रगाप रहें  
 त/क १८-८-२००८ ईस्व

दिनांक १८-८-२००८  
 १८-८-२००८



गजे रहे कि बिचि की गजे भू-भाग का नक्शा साथ दस्तावेज के साथ है जिसमें बिचि की गजे भू-भाग को लागू वंग से दर्शाया गया है जो यह नक्शा दस्तावेज का अंग माना जाएगा

अरविश कुमार पांडेय  
18/8/09



प्रमाणित किया गया है कि पर्यवेक्षक द्वारा 18/8/09

ला0 न0 - 92/2003  
मेदिनीनगर (पलामू)



प्रमाणित किया जाता है कि पर्यवेक्षक द्वारा जिनका कोई दस्तावेज में लगा है कि वह हाथ की छापों का निष्कर्ष में सामने लिए गए हैं

कारिका:- अरविश कुमार पांडेय  
पलामू नकील मेदिनीनगर  
ला0 न0 92/0 3 पलामू  
ला0 18/8/09

अरविश कुमार पांडेय  
18/8/09